

फॉर्म अहकाम

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

शंकरदास मुख्यालय बनाम शिवरामदास

/वर्ष : 16/2017

क आदेश नंबर/वर्ष	आदेश विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
------------------	---------------------	-------------

12/24

पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वमील उप। वादी शंकरदास की ओर से दायीत किंडे एड ने पक्षकारान व दावा विंडो प्र। पत्र पेश किया व प्रतिवादी वमील उरा प्र। पत्र 15/10/17 का पेश किया, जो संलग्न है। विंडो प्र। पत्र पत्र हुआ गया तो वादी अपने वाद को विंडो करना चाहता है एवं अगे नहीं चलाना चाहता है, जो CPC के प्रावधानों के तहत वादी मास्टर ऑफ द लूट होता है, जो अपने वाद को विंडो कर सकता है। साथ ही संलग्न स्थगन प्र। पत्र भी संख्या 19/2017 इजी वाद के साथ पेश किया गया है, जो दावा विंडो करने के कारण स्थगन प्र। पत्र त्वतः ही प्रभावहीन हो जावेगा। अतः उपरोक्त विवेकानुसार दावा वादी विंडो किया जाता है। दावा विंडो करने से स्थगन आदेश पत्रावली संख्या 19/2017 में दिनांक 18/11/2017 व 12/6/2017 का शून्य हो गया है एवं अतः पत्रावली के साथ संलग्न अन्य पत्रावली संख्या 204/2017 शिवरामदास बनाम शंकरदास को अलग की जाकर वास्ते मुनवार हेतु पेश हो। अतः दावा 16/2017 शंकरदास बनाम शिवरामदास विंडो करने से वाद वमील दाखिल पत्र हो।

शंकरदास

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)